सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी जिला – अजमेर (राज.)

राजस्व वाद संख्या – 206/2016

पीठासीन अधिकारीः– श्री नीरज कुमार मीना (आर.ए.एस.)

1. भंवरलाल पुत्र भीवडा मीणा
2. शिवराज पुत्र भीवडा मीणा
   समस्त निवासीगण कालाखेत हाल तहसील सावर जिला अजमेर

वादीगण

बनाम

1. राज सरकार जरिये तहसीलदार सावर
2. छीतर पुत्र चन्द्रा मीणा
3. कानी पत्नि महादेव मीणा
4. बाली पत्नि परमालाल मीणा
5. शान्ति पत्नि गणेश मीणा
6. लादी पत्नि कैलाश मीणा
   समस्त निवासीगण निमेडा तहसील सावर जिला अजमेर।

प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 188,88,89,92ए,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय **दिनांकः– 3.5.2018**

पत्रावली आज दिनांक केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार 2018 केम्प गिरवरपुरा में पेश हुई। वादी संख्या 1 एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 4 उपस्थित। बकाया प्रतिवादी 3,5,6 बावजूद सूचना के उपस्थित नही है। उपस्थित पक्षकारान को सुना गया, संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है।

वादीगण ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 188,88,89,92ए,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया है कि वादी के वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम निमेडा तहसील सावर जिला अजमेर में स्थित जमाबन्दी संवत 2068–71 में वर्णित भूमि आराजी खसरा नम्बर 1550/196, 1549/196,197,1551/196,196 रकबा क्रमशः 0.32,0.34,0.55,0.34,0.,32 हैक्ट का पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजीयात पुश्तेनी है जो वादीगण व प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त व स्वामित्व में चली आ रही है जिस पर पक्षकारान का सामुहिक कब्जा चला आ रहा है। वादग्रस्त आराजी को वादीगण के पिता भीवडा ने कभी भी बैचान नही किया था। अन्य आराजियात को प्रतिवादी 3 से 6 ने भीवडा को बैचान किया था जिसमें सहवन से विक्रय पत्र में खसरा नम्बर 196 लिपिकीय त्रुटी से अंकित हो गया। जिसके कारण वादी ने किया दावा घोषणा कराने व प्रतिवादी को पाबन्द कराने के लिये पेश किया है। जिसे स्वीकार फरवाया जावें।

हमने वादी का दावा दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी4 की ओर से श्री हेमराज कानावत एडवोकेट ने पावर पेश किया प्रतिवादी 2 आज स्वयं उपस्थित है प्रतिवादी 3 व 5 बावजूद सूचना के हाजिर न्यायालय नहीं है। उपस्थित प्रतिवादीगण का प्रकरण में 13 मौके दिये गये किन्तु जवाब आदि पेश नहीं किया है केवल मात्र प्रतिवादी ने मौखिक निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी का पूर्व में इस न्यायालय से दावा डीक्री किया जा चुका है । जिसके कारण यह दावा चलने योग्य नहीं है । अतः खारिज फरमाया जावें। इस बाबत प्रतिवादी स. 4 ने पूर्व मुकदमा नम्बर 175/2013 उनवानी बाली बनाम छाउ देवी वगै. के निर्णय दिनांक 15.6.2015 की फोटो प्रति पेश की है। जिसमें इन्ही खसरा नम्बरान पर इस न्यायालय द्वारा निर्णय किया जाना जाहिर होता है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित पक्षकारान को सूना प्रतिवादी 4 द्वारा प्रस्तुत छायाप्रति के निर्णय का अवलोकन किया जिसमें वादग्रस्त आराजी का पूर्व में इस न्यायालय द्वारा निर्णय किया जा चुका है। इस वाद पत्र में नया खसरा नम्बर 197मिलाकर नये सिरे से वाद पेश किया है खसरा नम्बर 197 की भी राजस्व अपील प्राधिकारी के यहा अपील विचाराधीन है जिसके कारण वादी का दावा प्रेमापेशाई होना नही पाया जाता न ही वाद संतुलन वादी के पक्ष में है।

अतः वादी का दावा ग्राम निमेडा तहसील सावर जिला अजमेर की जमाबन्दी संवत 2068–71 के खसरा नम्बर 1550/196, 1549/196,197,1551/196,196 के बाबत वादी का दावा पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 3.5.2018 को पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया व मजमे आम में सुनाया गयां।

उपखण्ड अधिकारी
केकडी